



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक— २२८८५

दिनांक:— ०६।०३।२०२४

सीमित निविदा प्रपत्र : 13/2023-24

छात्र सुविधा हेतु फोटोस्टेट / स्पाइरल बाइंडिंग / इन्टरनेट आदि कार्य की प्रदायगी

कार्य का नाम	छात्र सुविधा केंद्र फोटोस्टेट / स्पाइरल बाइंडिंग / इन्टरनेट आदि कार्य की प्रदायगी	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	निविदा खोलने की तिथि
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रु. 1,50,000/- रु. 5,000/- रु. 200/-	13/03/2024 को 3.00 बजे तक	14/03/2024 को 01.00 बजे

- (कार्य का नाम जिनके लिए निविदा)
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता (मय दूरभाष/मो. न.)
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या (प्रति सलंगन करें)
- किनको सम्बोधित किया गया है :-
- संदर्भ :-
- निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद एवं दिनांक द्वारा रेखांकित पोस्टल ओर्डर / ड्राफ्ट संख्या के द्वारा जमा करा दी गई है ।
- हम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा सलंगन शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर उलेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।)
- संलग्न प्रपत्र में फोटो स्टेट, स्पाइरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट आदि कार्य की दर समस्त कर सहित अंकित है ।
- आदेश प्राप्त करने होने की दिनांक से की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।
- ऊपर उद्यत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य हैं । सामग्री/सेवा आपूर्ती को 50 प्रतिशत तक की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ।
- बयाना राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या राशि / चालान संख्या दिनांक राशि रूपये संलग्न है ।
- निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है ।
- निविदा प्रपत्र के साथ सभी प्रकार के कागज के नमूने संलग्न है । (नमूने के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी)

14

छात्र सुविधा केंद्र फोटोस्टेट / स्पाईरल बाइंडिंग / इन्टरनेट आदि कार्य की प्रदायगी की शर्तें

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार्य होगी। धरोहर राशि रूपये 5000/- का डिमांड ड्राफट टैण्डर के साथ लगाना होगा। जिसकी दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि बतौर अमानत राशि के रूप में जमा रख ली जायेगी।
2. निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. किसी प्रकार की प्रति-शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नहीं होगी।
4. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट-छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. फोटो स्टेट का प्रिन्ट सही प्राप्त नहीं होने, फोटो-स्टेट मशीन के खराब होने, फर्म द्वारा नियुक्ति कर्मचारी के अनुपस्थिति होने, विश्वविद्यालय का कार्य बाधित होने पर (प्राप्त शिकायत के अनुसार) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शास्ति फर्म द्वारा देय होगी।
7. संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिकायते आने पर संविदा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
8. संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारी अवकाश होने पर वैकल्पिक व्यवस्था फर्म को करनी होगी।
9. विश्वविद्यालय से लगाये गए सामान की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके अतिरिक्त अन्य सामान ही व्यवस्था व देखभाल अपने स्तर पर ही करनी होगी।
10. फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाइंडिंग कार्य सम्बन्धी मशीन ठेकेदार द्वारा लगाई जायेगी जिसकी मरम्मत आदि का दायित्व निविदादाता का होगा।
11. कार्यालय समय से पूर्व फोटो स्टेट कार्य बंद करने की शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त करते हुए प्रतिभुति राशि जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
12. विवाद होने पर केवल सीकर स्थित न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
13. फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाइंडिंग कार्य की दर का विवरण, फोटो स्टेट के काउन्टर/बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा।
14. फोटो स्टेट हेतु कमरा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा जिसका किराया राशि रु. 1500/-प्रतिमाह की दर से 12 माह का रु. 18000/- एक मुश्त निविदा स्वीकृत होने के 7 दिवस में जमा करानी होगी जो लौटाये नहीं जायेंगे। बिजली का भुगतान सामान्य प्रशासन अधिकारी से उपभोग यूनिट का सत्यापन कराते हुए प्रतिमाह बिल का भुगतान विश्वविद्यालय कोष में जमा कराते हुए सूचना सामान्य प्रशासन विभाग में देनी होगी। इसके अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

14

15. ठेकेदार द्वारा काम में लिये जाने वाले विश्वविद्यालय के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
16. विश्वविद्यालय में आंतरिक/बाह्य छात्रों का कार्य अनुमोदित दरों पर करना होगा। इस हेतु स्टेशनरी ठेकेदार द्वारा लगाई जाएगी।
17. फर्म द्वारा "ए" 'ग्रेड मिल का 70 जीएसएम पेपर उपयोग में लिया जाएगा।
18. ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
19. निविदादाता को अनुमोदित दरों से अधिक दर पर कार्य करना पाये जाने की स्थिति में टैंडर निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
20. विश्वविद्यालय परिसर में लगे लीज लाइन का प्रयोग फर्म द्वारा किया जा सकता है जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा अपितु किसी अपरिहार्य कारणों से नेटवर्किंग कार्य नहीं हो पाता है तो फर्म द्वारा स्वयं का नेट-डोंगल का प्रयोग कर कार्य सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
21. दरें असामान्य रूप से कम या अधिक होने पर निविदा Outrightly reject कर दी जाएगी।

धरोहर राशि:-

(i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 5,000/- रुपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवानी होगी जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

(ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि:-

- (a) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री/ सेवा की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।
- (b) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:-
- (c) निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रु 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
- (d) संविदा के यथावत कियान्विति के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदपश्चात निज निविदादाताओं को न्या अपेक्षा

24. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
25. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने, एवं निविदत्त मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक में वितरित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
26. यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है एवं शिकायत सही पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा करवायी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

कुलसचिव

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता..... कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता..... प्रबन्ध बोर्ड सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व -अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है: परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुत्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रेध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा।

अर्थातः

क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण

ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

ग. यह विनिश्यक की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं

घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण

ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

4. **अपील का प्ररूप-** (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के स्वूत के साथ होगी।
 (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस।—

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया।—

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

..... की अपील सं. (प्रथम/ द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यक्ति है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :

..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

M



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक— 22887

दिनांक:— 06/03/2024

वित्तीय बिड

छात्र सुविधा हेतु फोटोस्टेट / स्पाइरल बाइंडिंग / इन्टरनेट आदि कार्य की प्रदायगी

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :
2. फर्म एकल/भागीदारी
(दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें)
3. भागीदारों के नाम
4. नाम जो लेनदेन करेगा
मय अधिकार पत्र की प्रति
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते हैं :
6. धरोहर राशि का विवरण
7. दरें नीचे लिखी तालिका में देनी हैं।

(अ) फोटोस्टेट कार्य

क्र.सं.	नाम कार्य	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रुपये प्रति आईटम)	
			अंकों में	शब्दों में
1	One Side			
	Photo State	A4		
	Photo State	FS		
2	Both Side			
	Photo State	A4		
	Photo State	FS		
	Photo State	A3		

उपरोक्त दरें 'ए' ग्रेड मिल के 70 जीएसएम पेपर की होगी।

M

(ब) स्पाइरल बाइंडिंग सम्बन्धी कार्य

क्र.सं.	स्पाइरल बाइंडिंग क्रय मय कवर व रिंग	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपये प्रति आईटम, अंकों एवं शब्दों में)
1	Spiral Binding (minimum 100 pages)	A4	
	Spiral Binding (minimum 100 pages)	FS	
	Spiral Binding (from 101 to 500 pages)	A4	
	Spiral Binding (from 101 to 500 pages)	FS	

उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले प्लास्टिक फोल्डर मय रिंग का नमूना सलग्न करें।

(स) इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य

सं.	नाम कार्य	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपये प्रति आईटम, अंकों एवं शब्दों में)	
			पेपर सहित	पेपर रहित (सॉफ्ट कॉपी में देने हेतु)
1	इन्टरनेट से प्रतियाँ प्राप्त करने का शुल्क	A4		
		FS		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर